

Key Statement

क्र.स.	विभागकानाम	अनुपालना अप्राप्त	संवीक्षाउपरान्त क्रियान्विति अप्राप्त
1	पंचायती राज संस्थाएँ	—	—
2	शहरी स्थानीय निकाय	4.5.3(7)(न.पा.फतहसागर), 4.5.7(9)(न.पा.चिडावा), 4.5.9(4)(न.पा.चिडावा), (5.3.1)(न.नि.जयपुर), 5.4.1(2)(न.पा.रावतभाटा), 4.5.10(न.पा.बडी सादडी, बेगू, फतहनगर, बैर)	4.5.1(1,2,3,4,5,6,7), 4.5.2(1,2,3,4,5,6,7,8,9) 4.5.3(1,2,3,4,5,6,8,9,10), 4.5.4(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10), 4.5.5(1,2,3,4,5), 4.5.6(1,2), 4.5.7(1,2,3,4,5,6,7,8,10), 4.5.8(1,2,3,5,6,7,8), 4.5.9(1,2,3,5,6,7,8,9), 4.5.10, 4.6.1, 4.6.2, 5.1.1, 5.2.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1(1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14), 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5
3	शहरी विकास प्राधिकरण	-	6.7.1, 6.7.2(जोधपुर विकास प्राधिकरण)
4	नगर सुधार न्यास	—	1.3.1(3)(III), 1.3.2(3)(III), 1.3.3(3)(III), 1.3.4(3)(III), 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.5.6, 7.6.1(श्रीगंगानगर, भिवाडी, कोटा), 7.6.2(श्रीगंगानगर, भिवाडी, कोटा), 7.7.1
5	राजस्थान आवासन मण्डल	—	—
6	कृषि विपणन संस्थाएँ	—	—
7	देवस्थान विभाग	1.3.2(5)परिशिष्ट-II, 1.3.3(5)(I), 1.3.4(5)(I),	—
8	राज.पेशन्स मेडिकल रिलीफ फण्ड	1.3.2(5)परिशिष्ट-II, 1.3.3(5)(II), 1.3.4(5)(II) 10.1(1)(II), 10.2(4)	
9	एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज	10.1(5)	—
10	हितकारी निधी बीकानेर		1.3.2(5)(6)

